Part III Compulsory retirement of Govt- Servants under Rule 74 (a) of the Bihar Service Code on account of inefficiency or misconduct.

[Confidential]

Memo No. RL-59/48-A.—528.

Government of Bihar,
Appointment Department.

To

All Departments of Government,
All Heads of Departments.

Dated Patna, the 18th/22nd January, 1951.

Subject :— Compulsory retirement of Government servants on account of inefficiency or misconduct.

Sir,

The undersigned is directed to say that with a view to deal effectively with corruption and inefficiency in the public services. Government had been considering a proposal to arm themselves with powers, in exercise of which they could retire compulsorily dishonest or inefficient officers who had outlived their usefulness.

2. The existing provisions for compulsory retirement of Government servants are contained in Note 1 to Article 465-A of the Civil Service Regulations and Rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code. Under the former, the State Government have an absolute right to retire an officer, after he has completed 25 years of qualifying service, without giving any reasons. It has, however, been made clear in the Article that its provisions apply only to the categories of officers specified in Article 349-A of the Civil Service Regulations. A reference to Article 349-A shows that the provision for compulsory retirement prescribed in Article 465-A applies only to officers of certain All-India Services and the Provincial Services. It does not, for example, apply to Sub-Deputy Collectors, Police Officers below the rank of Deputy Superintendents, Sub-Registrars and Excise Inspectors and Sub Inspectors.

3. The only provision for the compulsory retirement of officers to whom Note 1 of Article 465-A of the Civil Service Regulations does not apply, was contained in rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code. This rule ran as follows :—

> " The Provincial Government may require any Government servant who has completed twenty-one years of duty and twenty-five years of total service calculated from the date of first appointment to retire from Government service if it considers that his efficiency is not such as to justify his retention in the service : 95 P. & A.
>
> Provided that the provisions of this clause shall not apply to any person who is in Government service at the time when these rules came in force, unless such person was liable, under the rules previously in force, to be called upon to retire after completing twenty-five years' service. "

4. This rule did not apply to Government servants who had entered service before the Ist June 1929—the date on which the Bihar and Orissa Service Code came into force. Compulsory retirements under the rule could, therefore, be ordered only in cases of Government servants who had entered service after the Ist June 1929. Since the rule also provided that only such Government servants as had completed 25 years of qualifying service could be made to retire compulsorily, no compulsory retirement in terms of this rule could be made until 1954.

5. With a view to remove the difficulties mentioned above rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code has now been amended. The amendment has been notified in notification no. 14682-F., dated the 24th October, 1950 (copy enclosed). The effect of this amendment is that Government have

now powers to retire compulsorily any Government servant under their rule-making control, who has completed 21 years of duty and twenty-five years of total service, calculated from the date of his first appointment, if they are satisfied that his efficiency and conduct are not such as to justify his further retention in service.

6. According to the amendment contained in notification no. 14682-F., dated the 24th October, 1950, no Government servant can be compulsorily retired, unless he is inefficient and his conduct has been objectionable. There may, however, be cases in which an officer's conduct is entirely satisfactory, but he is grossly inefficient, or vice versa : and it is obviously desirable that Government should have the power to retire compulsorily either category of Government servants. Steps are, therefore, being taken to remove his difficulty by a further amendment of clause (d) of rule 75 of the Bihar and Orissa Service Code, which will be notified in due course.

7. Compulsory retirement effected under rule 75 (d), as amended in notification no. 14682 F., dated the 24th October, 1950, would amount to "removal" from service and would, therefore, attract the provisions of clause 2 of Article 311 of the constitution of India. It would therefore, be necessary to give to the Government servant concerned reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him, and to take any representation made by him into consideration before passing final orders. It will, however, not be necessary to follow the procedure laid down for the institution of departmental proceedings, before retiring an officer compulsorily in pursuance of the aforesaid rule.

8. Government are anxious to purify the administration by compulsorily retiring such of their employees as are corrupt, or as are grossly inefficient. The emphasis, for the present, will however, be on retirement of corrupt officers; inefficient officers may have to be tolerated until younger officers have been fully trained. But those who are grossly inefficient, must also be weeded out. It has, accordingly, been decided that all departments of Government should, in consultation with the Heads of Departments, prepare lists of Class I and Class II Officers, as also of officers of other Categories who are appointed by Government, who should be compulsorily retired on account of their unsatisfactory conduct, or gross inefficiency. These lists should be forwarded to the undersigned by the 28th February, 1951.

9. Similarly, all Heads of Departments should prepare lists of officers of Class III whom they propose to retire compulsorily, and forward the lists to the Department of Government concerned by the 28th February, 1951. A copy of the list should also be forwarded to the undersigned.

10. As regards Government servants of Class IV, it has been decided that the Heads of Departments themselves should pass final orders about their compulsory retirement and send a report to the Department of Government concerned, for information. A notification delegating the power of compulsory retirement under rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code (as amended) to the Heads of Departments is being issued separately. The Heads of Departments should pass orders for compulsory retirement of officers subordinate to them only after the delegation has been notified.

11. While Government are keen to weed out corrupt and grossly inefficient Government servants, they are also anxious to ensure that the extra-ordinary power of compulsory retirement is not exercised indiscriminately, or capriciously. It has, accordingly, been decided to provide, by an executive order, that compulsory retirements of Government servants of Classes I, II and III during the next two years, would be made on the advice of Committees of senior officers to be constituted for the purpose. When the lists of officers of these categories, whom it is proposed to retire compulsorily, are received by Government, they will take a final decision about the exact composition of these committees. It is, however, not proposed to refer to these Committees, the cases of compulsory retirement of Government servants of Class IV who are mostly appointed by District Officers and other officers of equivalent rank. With a view to guard against any possibility of the appointing authorities retiring Government servants of this class capriciously, it has been decided that compulsory retirements of Government servants of

Class IV would be made by the Heads of Departments. Government feel that this precaution is adequate to guard against unjustified compulsory retirements of Government servants of Class IV.

12. A report on the preliminary action taken on these orders, may kindly be sent to the undersigned by the 7th February, 1951.

L. P. Singh,
Chief Secretary to Government.

Memo No. RL-59/48-A—528.

Patna, the 18th/22nd January, 1951.

Copy forwarded to the Secretary, Bihar Legislative Assembly / the Secretary, Bihar Legislative Council / the Secretary, Bihar Public Service Commission for information with the request that the information asked for, may kindly be furnished by the 28th February, 1951. A report on the preliminary action taken, may also be sent by the 7th February. 1951.

L. P. Singh.
Chief Secretary to Government.

Memc No. III/R1-5011/51A—3754

GOVERNMENT OF BIHAR
Appointment Department.

To

ALL DEPARTMENTS OF GOVERNMENT / ALL HEADS OF DEPARTMENTS.

Patna, the 4th May, 1953.

Subject :— Compulsory retirement of Government servants on account of inefficiency or misconduct.

Sir,

The undersigned is directed to refer to the instructions conveyed in the Appointment Department circular memo nos. RL—59/48A—528, dated the 22nd January, 1951 and III / R1-5011/51—3133, dated the 29th March, 1952 explaining the amendments to rule 75(d) of the Bihar and Orissa Service Code and the delegations made thereunder to enable Departments of Government and Heads of Departments to retire compulsorily such Government servants as had completed at least 25 years of total sevice and 21 years of duty and were considered to be either corrupt or inefficient. In accordance with the delegations as detailed in circular memo no. A—3133, dated the 29th March,1951 Departments of Government were given full power to order compulsory retirement of Government servants under their administrative control and similar delegation was also made to Heads of Departments to order compulsory retirement of non-gazetted Government servants, both superior and inferior, who were not appointed by Government. Rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code has since been replaced by rule 74 of the Bihar Service Code, 1952 and the delegations thereunder have been specified under Item 9A of Appendix.I of the new complition.

2. In paragraph 7 of the Appointment Department's memo no. RL—59/48A—528, dated the 22nd January, 1961 it was stated that compulsory retirement effected under rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code would amount to "removal" from service and would, therefore, attract the provisions of clause 2 of Article 311 of the Constitution of India. It was, therefore, laid down that it would be necessary to give to the Government servant conerned reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him, and to take any representation made by him into consideration before passing final orders of his compulsory retirement. Provision to this effect was also made in the Note below rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code and in Note 1 below rule 74 of the Bihar Service Code, 1952 which ran as follow : –

"Compulsory retirement effected in pursuance of this rule amounts to removal from service within the meaning of clause (2) of Article 311 of the Constitution of India and a Government servant so compulsorily retired shall be given a reasonable opportunity to show cause against the action proposd to be taken against him. It shall, however, not be necessary in such cases to follow the procedure laid down for the institution of departmental proceedings against a Government servant, before removing him from Government service."

3. The question whether compulsory retirements under rule 74 of the Bihar Service Code [or those already effected under rule 75 (d) of the Bihar and Orissa Service Code] could attract the provisions of Article 311 (2) of the Constitution of India has since been carefully considered by the State Government. The true scope and significance of the provisions of section 240(3) of the Government of India Act and of the corresponding provisios of Article 311(2) of the Constitution have been adjudged by many High Courts. The State Government are now advised that compulsory retirements effected under rule 74 of the Bihar Service Code would be deemed to have ordered by Government by virtue of the conditions of the service of the Government servants concerned to whom the said Code applies and would not amount to "dismissal" or "removal" within the meaning of Article 311(2) of the Constitution or rules 49 and 55 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules. Consequently the officer proposed to be compulsorily retired cannot claim, as a matter of right, that he should be given an opportunity to show cause against his proposed compulsory retirment. In pursuance of this decision, Note I below rule 74 of the Bihar Service Code has now been amended in the Finance Department notification no. 1216-F., dated the 30th January, 1953. The amended Note now reads as follows :—

"NOTE 1. :— Compulsory retirement effected in pursuance of this rule does not amount to dismissal or removal from service within the meaning of clause (2) of Article 311 of the Constitution and a Government servant so retired cannot claim, as a matter of right, that he should be given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him, It shall also not be necessary, in such cases to follow the procedure laid down for institution of departmental proceedings against the Government servant before retiring him compulsorily from Government service."

4. The State Government have considered the question whether in view of there being no statutory obligation to give to a Government servant an opportunity to show cause against compulsory retirement and rule 74 of the Service Code having been amended as stated above, the opportunity of making a representation against compulsory retirement should still be provided to a Government servant against whom action is proposed to be taken under rule 74. They are of the opinion that while it is in the public interest to dispense with the services of Government servants who are corrupt or grossly inefficient, it is equally desirable, in this transitional period, not to undermine Government servants sense of security. They feel that unless Government servants are given an opportunity to show cause against compulsory retirement, this extra-ordinary power may in some cases be exercised harshly or capriciously. It has accordingly been decided that the existing instruction requiring Government servants to be given an opportunity to submit representations against compulsory retirement and for these representations to be considered by the Committee of senior officers

which have been specially constituted to examine proposal regarding compulsory retirement of Government servants of Class I, Class II and Class III shall remain in force. In accordance with these orders, when the representation from the Government servant concerned has been received, his case should be referred to the committee concerned along with his character roll, and other reports, etc., on the basis of which the provisional decision to retire the officer compulsorily was taken. Final orders will be passed in each case after the recommendations of the committee are received.

5. In exceptional cases, if the authority empowered to retire a Government servant compulsorily is satisfied, for reasons to be recorded by him in writing, that it will not be expedient, or in the public interest, to give to that Government servant an opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him, such opportunity may not be given. If, however, the committee of senior officers authorised to examine the cases of compulsory retirement decides that the opportunity of showing cause should be given to that Government servant, such an opportunity shall be given.

6. These orders should be noted carefully for future guidance and communicated to appointing authorities subordinate to you.

Yours faithfully,
B. N. SINHA
Deputy Secretary in Government.

Confidential

Memo No. III/RI-509/56-A—4518.
Government of Bihar,
Appointment Department.

To

All Departments of Government,
All Heads of Departments.

Dated Patna, the 30th April, 1956.

Subject :— Compulsory retirement of Government servants on account of inefficiency or misconduct.

The undersigned is directed to invite a reference to Appointment Department's Confidential memo No. RL-59/48 A-528, dated the 18th/22nd January, 1951. Compulsory retirement of dishonest or inefficient officers has been made during the past few years, according to the procedure laid down in that memo. Government have since made a detailed review of the whole position, and have decided that in future compulsory retirement need not be confined to corrupt Government servants, or to those who are grossly inefficient. Inefficiency, even though not gross, may be considered as a sufficient ground for compulsory retirement. For this purpose, every Department of Government and every Head of Department is requested to prepare in July each year, a list of Government servants who have completed 25 years of service, and whose records, in the matter of integrity, or of efficiency, are not satisfactory. This would enable a systematic selection to be made, of cases in which compulsory retirement should be ordered.

2. The present practice of giving the Government servant an opportunity to show cause why he should not be compulsorily retired will continue, although as explained in Appointment Department's memo no. 3794, dated the 4th May, 1953, it is not legally obligatory to afford such an opportunity. Only

one month's time should, however, be allowed for showing cause, and only for very exceptional reasons further time, not exceeding another month, may be allowed.

3. The orders previously in force provided that compulsory retirement of Government servants in classes I, II and III, should be made on the advice of committees of senior officers specially constituted for the purpose. Government have now decided to discontinue this procedure. When these committees were first constituted, it was thought that there might be a large number of compulsory retirements, and that, therefore, the cases should be examined by committees to ensure uniformity. In future the number of compulsory retirements is not likely to be so large. and it should be possible for each Department of Government to deal with such cases without seeking the advice of a committee.

4. After a case of compulsory retirement of a gazetted officer has been examined by the Department concerned, the Appointment Department should be consulted. When it is proposed to retire a gazetted officer compulsorily on the ground of dishonesty or corruption, the Anti-corruption section of the Political Department should also be consulted. As required under the Rules of Executive Business, proposals for compulsory retirement of gazetted officers appointed by Government will be placed before the Chief Minister and the Council of Ministers, before the issue of orders. Cases of compulsory retirement of gazetted officers appointed by authorities subordinate to Government should also be submitted to the Minister-in-charge, and then to the Chief Minister, before issue of orders.

5. A Head of Department may pass orders of compulsory retirement of a Government servant in class III or class IV. No appeal will lie to Government against such order passed by a Head of Department, Government may, however, at any time, call for the papers relating to a case of compulsory retirement of a Government servant in class III or class IV, and pass such orders thereon as Government may deem fit. Government have the power of making such a review at any time but in order to ensure that permanent arrangements in vacancies caused by compulsory retirements are not unduly delayed, an application for such review will not ordinarily be entertained by Government, unless it is received within one month of the issue of the orders of compulsory retirement.

L. P, Singh,
Chief Secretary to Government.

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या ३/ आर०-१-१०१०/७२ का०—१५९३०-का०

सेवा में,

सभी प्रमुख सचिव / सरकार के सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी।

पटना १५, दिनांक २९ अगस्त, १९७७

विषय :— बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ए) के अधीन २१ वर्ष की ड्यूटी एवं २५ वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सरकारी सेवकों की अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार के चलते सरकारी सेवा से अनिवार्य निवृत्ति।

निदेशानुसार आपका ध्यान नियुक्ति विभाग के उपर्युक्त विषयक ज्ञाप संख्या ३/ आर-१-५०९/५६-ए-४५१८, दिनांक ३० अप्रील, १९५६ की ओर आकृष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अयोग्य एवं भ्रष्ट सरकारी सेवकों को बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ए) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्त कराने हेतु निम्नांकित प्रक्रियायें अपनाई जायें।

२. वैसे राजपत्रित कर्मचारियों के लिए जिनकी कर्त्तव्य अवधि २१ वर्ष एवं कुल सेवा अवधि २५ वर्ष पूरी होने में मात्र ६ माह बाकी है, उन्हें सरकारी सेवा में बने रहने दिया जाय या नहीं। इसकी समीक्षा वर्ष में दो बार, एक जनवरी में और फिर जुलाई में की जाय।

उपरोक्त समीक्षा के लिए निम्नलिखित समितियाँ गठित की जायें :—

(क) बिहार असैनिक सेवा एवं बिहार कनीय असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की समीक्षा के लिए जो समिति बनेगी उसके सदस्य मुख्य सचिव, सदस्य, राजस्व पर्षद्, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, यदि हों, एवं सचिव, कार्मिक विभाग होंगे।

(ख) अन्य राज्य सेवाओं के लिए समीक्षा समिति के सदस्य मुख्य सचिव या विभागीय प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्ष होंगे।

(ग) यदि सम्बन्धित पदाधिकारी किसी राज्य सेवा के सदस्य नहीं हैं किन्तु राजपत्रित हैं, ऐसे पदाधिकारियों के लिए समीक्षा समिति के सदस्य विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष एवं यथास्थिति, विभाग के उप/संयुक्त/अपर सचिव होंगे।

३. सम्बन्धित विभाग समीक्षा समिति के समक्ष सम्बन्धित पदाधिकारियों के अद्यतन सेवा अभिलेख, उनकी सामान्य प्रतिष्ठा एवं ईमानदारी से सम्बन्धित भ्रष्टाचार निरोध विभाग के प्रतिवेदन सहित, यदि कोई हो तो, रखेंगे।

(क) यदि समीक्षा से यह पता चले कि पदाधिकारी अब दक्ष नहीं रह गये हैं अथवा अन्य कारणों से सेवा में रखने योग्य नहीं हैं तो प्रशासी विभाग समिति की अनुशंसा के आधार पर सरकार का आदेश प्राप्त करने हेतु तुरत कार्रवाई करेंगे।

(ख) यदि समीक्षा समिति के समक्ष युक्तियुक्त तथ्य हो जिससे यह विश्वास हो जाय कि पदाधिकारी की ईमानदारी अथवा सत्यनिष्ठा में कमी आ गयी है तो समिति उनकी योग्यता एवं दक्षता की जांच किये बगैर उन्हें सेवा निवृत्त करने के लिए अनुशंसा कर दे।

४. अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में नियुक्ति पदाधिकारी विहित समीक्षा ऐसे पदाधिकारियों की सहायता से जिन्हें वे उपयुक्त समझें उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार स्वयं करेंगे, एवं अपनी अनुशंसा विभागाध्यक्ष के समक्ष आदेश के लिए प्रस्तुत करेंगे।

(क) उपर्युक्त समीक्षा के प्रयोजनार्थ नियुक्ति पदाधिकारी अपने अधीन काम करनेवाले कर्मचारियों / पदाधिकारियों के बारे में एक पंजी रखेंगे जिसमें प्रत्येक का नाम और उनकी जन्म तिथि अंकित रहे ताकि जैसे ही कोई कर्मचारी / पदाधिकारी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ले तो उनके सम्बन्ध में समयानुकूल विहित समीक्षा की जा सके।

(ख) विभागाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध सरकार में अपील अनुमान्य नहीं होगी फिर भी सरकार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश से सम्बन्धित कागजात को पुनर्विलोकन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय मंगा सकती है एवं उस पर यथोचित आदेश दे सकती है। पर विभागाध्यक्ष द्वारा दिये गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अभिवेदन, यदि अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर नहीं प्राप्त हुआ रहे तो उस हालत में इस पर सामान्य रूप से सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा और विभागाध्यक्ष का आदेश यथावत् लागू रहेगा।

५. एक बार समीक्षा कर लेने के बाद यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को सरकारी सेवा में बने रहने दिया गया तो सामान्यतः दुबारे उनकी समीक्षा तभी की जायेगी जब इसके लिए विशेष कारण हो, तथा बाद में उनकी कार्यक्षमता या सत्यनिष्ठा में ह्रास न हुआ हो अथवा वे ५५ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों या प्राप्त करनेवाले हों।

६. सेवा निवृत्ति का आदेश निर्गत करने के पूर्व सम्बन्धित सरकारी सेवक को, "शो कौज नोटिस" देने की आवश्यकता नहीं है।

७. नियमानुसार केवल उन्हीं सरकारी सेवकों की समीक्षा अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु की जा सकती है जिन्होंने २१ वर्ष कार्यरत सेवा संहिता २५ वर्षों की कुल सेवा अवधि पूरी कर ली हो, अतः समीक्षा के पूर्व, सेवा अवधि का सत्यापन सामान्य रूप से विभागीय अभिलेखों के आधार पर होना चाहिए। यदि किसी मामले में सन्देह उत्पन्न हो तभी महा लेखाकार से कुल एवं कार्यरत सेवा अवधि का सत्यापन कराया जाय।

८. प्रत्येक सरकारी विभाग, राजपत्रित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में तथा सभी विभागाध्यक्ष, अराजपत्रित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में की गई समीक्षा का प्रतिवेदन कार्मिक विभाग में, संगठन एवं पद्धति प्रशाखा को, साल में दो बार, पहला १० अप्रील तक (जनवरी की समीक्षा से सम्बन्धित) और दूसरी १ अक्टूबर तक (जुलाई की समीक्षा से सम्बन्धित), निश्चित रूप से भेजेंगे।

९. उपर्युक्त अनुदेशों तक नियुक्ति विभाग की ज्ञाप संख्या ३/आर-१-५०९/५६-ए-४५१८, दिनांक ३० अप्रील, १९५६ संशोधित समझी जाय तथा सभी नियुक्ति पदाधिकारी को इससे अवगत करा दिया जाय।

१०. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।

For Gazetted Government Servants.

Government of Bihar,
Department of ... ...

ORDER

WHEREAS SHRI ... ... (Name, designation and place of posting) has completed twenty-one years of duty and twenty-five years of total service;

AND WHEREAS the State Government in ... ... Department considers that retention of the aforesaid Shri ... ... in Government service is not justifiable.

Now THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the 74 (a) of the Bihar Service Code, the State Government in ... ... Department hereby required that the aforesaid Shri ... ... shall retire with effect from the date of service of this order or from the date of the publication of this order in the official gazette, whichever is earlier.

By order of the Government of Bihar,

To

... ...

... ...

... ...

Acknowledgement

I, ... now holding the post of ... ... hereby acknowledge the receipt of the original order of retirement as aforesaid.

Signature ... ...

Designation ... ...

Place ... ...

Date ... ...

For Non-Gazetted Government Servants.

OFFICE OF .... (HEAD OF THE DEPARTMENT)

ORDER

WHEREAS SHRI .... (Name, designation and place of posting) has completed twenty-one years of duty and twenty-five years of total service;

AND WHEREAS the undersigned as Head of the Department considers that retention of the aforesaid Shri .... in Government service is not justifiable.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by rule 74 (a) of the Bihar Service Code, the undersigned as Head of the Department hereby required that the aforesaid Shri ... ... shall retire with effect from the date of service of this order or from the date of the publication of this order in the gazette, whichever is earlier.

Head of the Department.

To

... ...

... ...

....

Acknowledgement

I, ... now holding the post of .... hereby acknowledge the receipt of the original order of retirement as aforesaid.

Signature ... ...

Designation ... ...

Place ....

Date ....

बि॰ स॰ मु॰ (कार्मिक) २७—मो॰ जी॰—१,०००—१८-८-१९७५—तारिख ।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या-३ / आर०—१०१०/७३ का० १४९३६ पटना-१५ दिनांक १२ अगस्त, ७५

सेवा में,

सरकार सभी प्रमुख सचिव

सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

विषय :—बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ए) के अधीन २१ वर्ष की ड्यूटी एवं २५ वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या (१९५०३०) दिनांक २९ अगस्त, ७२ के (प्रतिलिपि, संलग्न) के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ए) के अधीन राजपत्रित पदाधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति कराने से संबंधित आदेश निर्गत करने के लिए विहित प्रपत्रों की प्रतियां भेजी जा रही है।

२—अनुरोध है कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इससे अवगत करा दें।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या ३ / आर० १-१०१० / ७३ का १४९३६ पटना-१५ दिनांक १२ अगस्त, ७५

प्रति लिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश की अनुलग्नक सहित १००० प्रतियां तुरत उपलब्ध कराएं।

ह०—सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या ३ / आर० १०१० / ७५ का० १४९३६ पटना-१५ दिनांक-१५ १२ अगस्त, ७५

प्रतिलिपि—कार्मिक विभाग (प्रशाखा-१, ४ एवं ७) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

प्रशाखा पदाधिकारी

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग।
का०.५६४१ दिनांक ३०-३-७७
संकल्प

सेवा में

विषय :— अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों की समीक्षा के लिये एक-सदस्यीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाय एवं पटना उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधिपति, श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह को उक्त न्यायाधिकरण में नियुक्त किया जाय।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह, सेवा निवृत्त न्यायाधिपति / महालेखाकार, बिहार।सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०—सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या-३।आर० १-१०१।७३ का० ३५४१ पटना-१५, दिनांक ३० मार्च, १९७७

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना गुलजारबाग को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और उसकी ३०० प्रतियां कार्मिक विभाग को भेज दी जाय।

ह०—सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या-३। आर० १-१०१।७३ का—५६४१ पटना-१५, दिनांक ३० मार्च, १९७७।

प्रतिलिपि—श्री चन्द्रिका प्रसाद सिन्हा, सेवा निवृत्त न्यायाधिपति; रोड नं०—२ बी०, राजेन्द्र नगर, पटना। महालेखाकार, बिहार सरकार के सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या-३।आर०-१०१-८३ का ८४६८ पटना-१५, दिनांक १६ मई, १९७७।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला दंडाधिकारी

विषय :— अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों को राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि दिनांक १-४-७५ से ३१-३-७७ तक अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों की समीक्षा के लिये राज्य सरकार से पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधिपति, श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह के प्रभार में एक सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया है और न्यायाधिकरण ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। न्यायाधिकरण, अनिवार्य सेवा निवृत्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों कोटि के सरकारी सेवकों से संबंधित उन्हीं मामलों की समीक्षा करेगा जिनमें सम्बद्ध व्यक्ति से न्यायाधिकरण के समक्ष अभिवेदन प्राप्त होता है।

२—इस संदर्भ में मुझे कहना है कि यदि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसी अनिवार्य सेवा निवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जा रही हो एवं उनका मामला न्यायाधिकरण में भी विचाराधीन हो, तो ऐसी परिस्थिति में उनके मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय एवं सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर कार्रवाई स्थगित रखी जाय। इसी तरह न्यायाधिकरण के समक्ष अभिवेदन देने के बाद सभी अराजपत्रित सेवक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर समीक्षा के लिये कोई आवेदन प्राप्त हो तो उसे अपास्त किया जाय।

३—मुझे यह भी अनुरोध करना है कि आपके अधीन जिन राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवा निवृत्त करा दिया गया है, उनलोगों से संबंधित सारे अभिलेख पहले से एकत्रित करके तैयार रखें जिससे न्यायाधिकरण द्वारा मांगे जाने पर इन्हें आपके द्वारा अविलम्ब प्रस्तुत किया जा सके।

ह०—(शरण सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या ३/ आर० ए० १०१/७३ का० ८४६८ पटना-१५, दिनांक १६ मार्च १९७७

प्रतिलिपि—न्यायाधिकरण को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०—सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या :—का० १६१४७ पटना-१५, दिनांक १ सितम्बर, १९७७ ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष ।

विषय :—अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों की राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण के द्वारा समीक्षा ।

निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों की समीक्षा के लिये गठित न्यायाधिकरण ने दिनांक ३१-८-१९७७ तक १०१ मामलों में अपनी अनुशंसाएं विभिन्न विभागों / विभागाध्यक्षों को भेज दी है ।

२—सरकार की इस चिन्ता को ध्यान में रखते हुए कि ये मामले अविलम्ब निष्पादित किये जायें, अधोस्ताक्षरी को अनुरोध करना है कि जिन मामलों में विभागीय पदाधिकारी स्वयं निर्णय लेने के लिये सक्षम है, उन मामलों में एक सप्ताह के अन्दर अवश्य निर्णय ले लिया जाय तथा जिन मामलों में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अपेक्षित हो, उन मामलों में १५ दिनों के अन्दर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये जायें ।

३—इस प्रसंग मे यह उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों के निष्पादन के सम्बन्ध में विधान मण्डल के गत सत्र में आश्वासन भी दिया जा चुका है । अतः कंडिका—२ में निर्धारित समयावधि में व्यतिक्रम न हो, इसे सुनिश्चित किया जाय ।

पी० एस० अप्पू

सरकार के मुख्य सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप सं०- ३ / आर० १-१०१/७३ (खण्ड) का० १८२५४ । पटना-१५, दिनांक २९ सितम्बर, १९७७

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव,
सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी

विषय:— अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में न्यायाधिकरण से प्राप्त अनुशंसाओं पर विभागों में कार्रवाई ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या—१६४४७ दिनांक २-९-७७ में अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों में न्यायाधिकरण से प्राप्त अनुशंसाओं के त्वरित निष्पादन के लिए निदेश दिया गया था कि जिन मामलों में विभागीय पदाधिकारी स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है उन मामलों में एक सप्ताह के अन्दर अवश्य निर्णय ले लिया जाय तथा जिन मामलों में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अपेक्षित हो, उन मामलों में १५ दिनों के अन्दर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये जायें । परन्तु, खेद है कि इसका अनुपालन पूरी तत्परता से नहीं किया जा रहा है ।

२. विषय की गम्भीरता पर पुनर्विचार कर राज्य सरकार ने निम्नलिखित आदेश देने की कृपा की है :—

(१) जिन मामलों में अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश को रद्द करते हुए सम्बद्ध व्यक्तियों को सरकारी सेवा में फिर से लेना अभीष्ट है उन सभी मामलों में विभाग मंत्रिपरिषद् के आदेश की प्रत्याशा में प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त करके तीन दिनों के अन्दर निर्गत कर दें और इसकी सूचना मुख्य सचिव को दें । साथ ही घटनोत्तर स्वीकृति के लिये संलेख मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में सम्मिलित करने के लिये निश्चित रूप से मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजा जाय ।

(२) वैसे मामले जिनमें न्यायाधिकरण की अनुसंसा विभाग को मान्य नहीं है उनके सम्बन्ध में हो, कारणों का उल्लेख करते हुए, मंत्रिपरिषद् के आदेश के लिये संलेख मंत्रिपरिषद् की अगली बैठक में सम्मिलित करने के लिये भेजा जाय ।

(३) उपर्युक्त कंडिका (१) एवं (२) में दिये गये निदेश के अनुपालन के लिये प्रधान सचिवों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

ह०—पी० एस० अप्पू
२८-९-७७
सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या ३/आर० १–१०१/७२ का० १९०२७
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

पटना—१५, दिनांक ८ अक्टूबर, १९७७

विषय :—अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों में न्यायाधिकरण की अनुशंसा मानते हुये सरकारी सेवा में पुनर्स्थापन के चलते समस्याओं का निदान।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि विगत आपातकाल के दौरान जिन सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कराया गया उनके मामलों की समीक्षा के लिये राज्य सरकार ने न्यायाधिकरण का गठन किया है, और न्यायाधिकरण मामलों की जांच के बाद सरकार को अपनी अनुशंसा उपलब्ध करता है। बहुतेरे मामलों में न्यायाधिकरण ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश को अनुचित मानते हुए सरकारी सेवकों के पुन: पदस्थापन की अनुशंसा की है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(क) अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त सरकारी सेवक द्वारा रिक्त किये गये पद पर अन्य व्यक्ति की प्रोन्नति/नियुक्ति एवं सम्पुष्टि हो जाने की स्थिति में, अर्थात् अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के पुनःस्थापन के लिये उपर्युक्त पद रिक्त नहीं रहने की स्थिति में इनके समंजन के लिये तदर्थ रूपसे गैर-सम्वर्गीय उपर्युक्त पद का सृजन इनकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि से किया जाय।

(ख) अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश अनियमित घोषित होने एवं सम्बन्धित सरकारी सेवक के पुनर्स्थापन के परिणाम स्वरूप बीच की अवधि (अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि एवं पुनर्स्थापन की तिथि की अवधि) के लिये उन्हें वेतन भत्ता आदि जो भी अनुमान्य हो उसका भुगतान किया जाय।

(ग) अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवक अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त होने के बाद जिस तिथि को ५८ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, उस तिथि तक ही उनके लिये उप कंडिका [क] के अनुसार पद का सृजन किया जाय। इस कोटि के सरकारी सेवकों को जैसा कि सामान्य स्थिति में होता है, ५८ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वेतन भत्ता आदि का भुगतान किया जाय और इस अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जाय। नियमित रूप से निवृत्त होने की स्थिति में पेन्शनादि की गणना जिस प्रकार की जाती है उसी आधार पर इनके पेन्शनादि की गणना की जाय और आवश्यकतानुसार पेन्शनादि के सम्बन्ध में संशोधित आदेश निर्गत किया जाय।

(घ) अनिवार्य सेवा निवृत्ति के बाद जिन मामलों में पेन्शन एवं ग्रैच्यूटी स्वीकृत हो चुका है, उन उन मामलों में सेवा में पुनर्स्थापन के बाद पेन्शनादि के रूप में जितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है उसकी वसूली सम्बद्ध सरकारी सेवक को मिलने वाले बकाये वेतन से किया जाय। उपादान (ग्रैच्यूटी) के रूप में जितनी राशि उन्होंने प्राप्त की हो उसकी यदि पूर्ण वसूली उनके बकाये वेतन से न हो सके तो अवशेष राशि का समंजन उनके निवृत्त होने पर उन्हें अनुमान्य उपादान की राशि से की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०। सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या—का० १९०२७। पटना—२५ दिनांक ८ अक्तूबर, ७७

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी जिला पदाधिकारियों/वित्त विभाग (बजट शाखा)/वित्त विभाग (पेन्शन शाखा) को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई के लिये अग्रसारित।

ह० सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या ५/ आर० १-६०७ का०—१७१६

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सु० विभाग।

प्रेषक :

श्री सच्चिदानन्द सिन्हा,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

पटना।

पटना-१५, दिनांक २ फरवरी, १९७८।

विषय :— न्यायाधिकरण की अनुशंसा के आधार पर सरकारी सेवा में अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के पुनर्स्थापन से सम्बन्ध में।

महोदय;

निदेशानुसार आपके पत्र संख्या—जी० एम०—।। जेन २७३ दिनांक २४-१२-१९७७ के प्रसंग में मुझे कहना है कि विगत आपातकाल में सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवा निवृत्त करते समय यह धारणा नहीं थी कि इनलोगों को पुन: सरकारी सेवा में पुनर्स्थापित करना होगा। यह निर्णय तो सरकार द्वारा बहुत बाद में किया गया। अत; ऐसे अनिवार्य सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को सरकारी सेवा में वापस लेने से जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती। यह एक विशेष परिस्थिति थी जिससे सामान्य नियम एवं प्रक्रिया से समाधान करना सम्भव नहीं था। इसी उद्देश्य से इस विशेष परिस्थिति से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिये गैर-सम्वर्गीय पदों के सृजन की व्यवस्था की गई। एफ० आर० ९ (२२) के नीचे की टिप्पणी के अन्तर्गत सुपरनुमेररी पद का सृजन कर इस विशेष परिस्थिति का सामना करना नहीं था।

२— वित्त विभाग के परामर्श से यह उत्तर भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(सच्चिदानन्द सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या-३ / आर० १-१०१ / ७३ (खण्ड) का० १७१६ पटना, दिनांक २ फरवरी, ७८

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग।विभागाध्यक्ष।सभी जिला दण्डाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

Part IV Compulsory retirement of Govt. servants under Rule 74 (6) of the Bihar Service Code.

ज्ञाप संख्या ३/ आर०—१-१०१/७३ का०—५९४२
बिहार सरकार,
नियुक्ति विभाग।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

पटना-१५, दिनांक ३० चैत्र, १८९५ (स) / २० अप्रील, १९७३।

विषय :— बिहार सेवा संहिता के नियम ७४ (ख) के अधीन ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति-प्रक्रिया एवं मापदण्ड।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग द्वारा ज्ञापित राजकीय अधिसूचना संख्या ३ / एफ-१-५०६ / ७२—८२७-बि०, दिनांक १२ फरवरी, १९७३ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि बिहार सेवा संहिता के संशोधित नियम ७४ (७४) (ख) के अधीन लोकहित में सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को, ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर तीन माह की पूर्व सूचना देकर सरकारी सेवा से निवृत्त करा सकते हैं।

२. इस प्रयोजनार्थ उपान्त में उल्लिखित पूर्व के आदेशों को विलोपित करते हुए, सरकार ने निम्नांकित प्रक्रिया और मापदण्ड निर्धारित किया है :—

(१) ज्ञाप सं०	२६७३,	दि० २० फरवरी, १९६९
(२) ज्ञाप सं०	९२९०,	दि० १ली जुलाई, १९६९
(३) ज्ञाप सं०	१५७५७,	दि० २९ अक्तूबर, १९६९
(४) ज्ञाप सं०	१५०५३,	दि० १६ अगस्त, १९७२
(५) ज्ञाप सं०	१६१७२,	दि० २ सितम्बर, १९७२

(i) क्रमशः आगामी जुलाई और जनवरी को शुरू होनेवाले अर्द्ध वर्ष में, प्रत्येक वर्ष दो बार जुलाई और जनवरी माह में उन सभी सरकारी सेवकों की सेवा में बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए समीक्षा की जाय, जो ३० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष की आयु पूरी करनेवाले हों।

३. उपर्युक्त समीक्षा के लिए निम्नलिखित समितियाँ गठित की जायं :—

(i) बिहार असैनिक सेवा एवं बिहार कनीय असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की समीक्षा हेतु समिति में मुख्य सचिव, सदस्य, राजस्व पर्षद, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (यदि हों) एव सचिव, कार्मिक विभाग रहेंगे।

(ii) शेष सभी राज्य सरकार की सेवाओं की समीक्षा हेतु समिति में मुख्य सचिव या सम्बन्धित प्रधान सचिव, प्रशासी विभाग के सचिव एवं विभागाध्यक्ष रहेंगे।

(iii) यदि कोई सरकारी पदाधिकारी किसी संवर्ग के न हों पर वे राजपत्रित हों तो उनकी समीक्षा हेतु गठित समिति में प्रशासी विभाग के सचिव, विभागाध्यक्ष एवं विभागीय उप-सचिव / संयुक्त सचिव या अपर सचिव में से कोई एक रहेंगे।

(iv) अराजपत्रित कर्मचारियों एवं ऐसे पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं होती है, के सम्बन्ध में समीक्षा सम्बद्ध नियुक्ति पदाधिकारी अपने द्वारा गठित ऐसे पदाधिकारियों की समिति की सहायता से, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, स्वयं करेंगे, किन्तु बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट १ के मद संख्या ९ "ए" के अनुसार उस पर विभागाध्यक्ष का आदेश प्राप्त करें। विभागाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध सरकार में अपील अनुमान्य नहीं होगी। फिर भी सरकार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश से सम्बन्धित कागजात को पुनर्विलोकन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय मांग सकती है एवं उस पर यथोचित आदेश दे सकती है। पर विभागाध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अभिवेदन, यदि अनिवार्य सेवा निवृत्ति के